न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 3/2018 निर्णय दिनांक :— 24-7-19

वाद पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 व्यवहार प्रकिया संहिता

उनवान

1. कैलाश पुत्र धान्या

2. जगदीश पुत्र धान्या

3. मोहन पुत्र धान्या

4. रामलाल पुत्र धान्या

समस्त जाति कुम्हार निवासी ग्राम शक्करखावदा तहसील चाकसू जिला जयपुर।

——वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर।

वाद बाबत रिकार्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

वादीगण की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया :—

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:36:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

वादीगण के खातेदारी एवं स्वामित्व की भूमि जिसके ख0 नं0 327 रकबा 0.08 कुल किता 1 कुल रकबा 0.08 है0 जो वाके ग्राम शक्करखावदा तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्थित हैं। वादग्रस्त आराजी वादीगण की पैतृक भूमि है वादग्रस्त आराजी वादीगण के पूर्वज रामदेव पुत्र गोविन्द उर्फ पोखर के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज थी परन्तु उक्त भूमि का विरासत का नामान्तकरण नहीं खुल पाया। वादीगण का सजरा निम्न प्रकार हैः–

रामदेव

धान्या

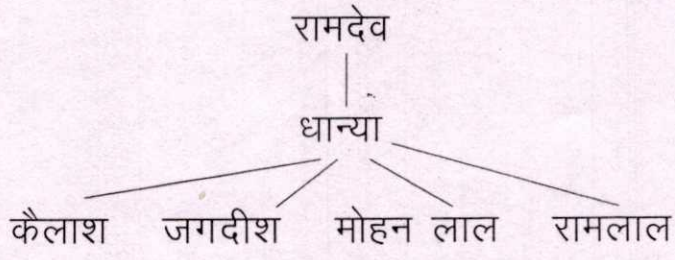

कैलाश जगदीश मोहन लाल रामलाल

वादीगण उक्त सजरा के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है वादीगण स्व0 धान्या के वारीसान है वादग्रस्त आराजी के नामान्तकरण हेतु वादीगण ने तहसील कार्यालय में भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और पटवारी महोदय से भी सम्पर्क किया परन्तु वादीगण को कहा कि यह पुराना मामला हो गया सक्षम न्यायालय से ही आदेश लाओं जिस कार वादीगण ने उक्त वाद श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ। वादग्रस्त आराजी वादीगण के पूर्वजों की छोडी हुई भूमि है जिसके वादीगण हक व हिस्सेदार है इस प्रकार वादग्रस्त आराजी के वादीगण खातेदार है और वादग्रस्त आराजी वादीगण के पूर्वजों की खातेदारी भूमि है जिसका विरासत का नामान्तकरण नहीं खुल सका। वादीगण ने [illegible] वारीस प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर रखा है इस प्रकार वादीगण को स्व0 रामदेव के हिस्से की

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:36:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

खातेदारी भूमि का विरासत के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वाद कारण जब उत्पन्न हुआ जब वादीगण को दिनांक 14.12.2017 को राजस्व कर्मचारियों ने विरासत का नामान्तकरण खोले जाने से इन्कार करने व समक्ष न्यायालय से आदेश लाने के पश्चात ही कार्यवाही करने के लिए कहा जिस कारण उक्त वाद प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ। प्रतिवादी भू–धारक है जिन्हें प्रकरण में प्रफोर्मा पक्षकार बनाया गया हैं। वाद पत्र को सुनने की अधिकारिता माननीय न्यायालय को प्राप्त है। वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद इस कदर डिक्री फरमाया जावे किः– वादीगण के खातेदारी एवं स्वामित्व की भूमि जिसके ख0 नं0 327 रकबा 0.08 कुल किता 4 कुल रकबा 0.08 है0 जो वाके ग्राम शक्करखावदा तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्थित है जो कि वादीगण की पैतक सम्पत्ति है वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरस्त किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी के वादीगण के शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा वादीगण को जबरन बेदखल नहीं करे।

दावा वकील वादी द्वारा पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गयी तो प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने दावे का जवाब इस प्रकार पेश किया कि :–

बिन्दू संख्या 1. ग्राम शक्करखावदा पाबदी चौसाला संवत 2073 से 2076 में खाता संख्या 17 किता 1 रकबा 0.08 है0 भूमि कैलाश चंद पुत्र धान्या हिस्सा 1/10 राहिन एस0बी0आई शाखा चाकसू मुर्तहीन जगदीश नारायण मोहनलाल, रामलाल, पिता धान्या हिस्सा 3/10

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:36:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

रामदेव पुत्र गोविन्दा हिस्सा 1/2, जाति कुम्हार सा देह दर्ज रिकार्ड है। बिन्दू संख्या 2 में वर्णित खसरा नम्बर 327 में रामदेव पुत्र गोविन्दा हिस्सा 1/2 जाति कुम्हार सा देह दर्ज है। बिन्दु संख्या 3 से 5 वादी से संबंधित है, स्वयं सिद्ध करे। बिन्दु संख्या 6 से 9 कानूनी है।

जवाब सरकार पेश होने पर बहस दावा वकील वादी की सुनी गयी तो वकील वादी ने दावे का समर्थन करते हुये कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैत्रिक भूमि है, जो वादीगण के पूर्वज रामदेव पुत्र गोविन्दा उर्फ पोखर के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज थी, वादीगण वादग्रस्त भूमि पर काबिज है वादीगण व सजरा के अनुसार काबिज काश्त है। वादीगण धान्या के वारिस है जवाब सरकार व प्रस्तुत पंचायत प्रमाण पत्र स्वयं के शपथ के आधार पर दावा वादी डिक्री फरमाया जावे।

वादी ने दावे के संबंध में ग्राम शक्करखावदा की जमाबंदी संवत 2069–72 पंचायत प्रमाण पत्र दिनांक 29.07.1987 गिरदावरी संवत 2045, खतौन बन्दोबस्त संवत 2004 से 2023 डीजल कार्ड नम्बर 29685, रामदेव पुत्र पोखर, मृत्यू प्रमाण पत्र धान्या पुत्र रामदवे जमाबंदी संवत 2073–76 पंचायत प्रमाण पत्र दिनांक 10.09. 2004 के दस्तावेज बतौर सबूत पेश किये गये। वकील वादी की बहस पर गौर किया व प्रस्तुत दस्तावेज एवं सरपंच प्रमाण पत्र एवं स्वयं वादी का शपथ पत्र जवाब सरकार का परीक्षण किया गया तो वादीग्रस्त भूमि में वादीगण के पूर्वज का नाम रामदेव पुत्र गोविन्द अंकित है जबकि सरपंच प्रमाण पत्र एवं डीजल राशन के अनुसार रामदेव के पिता का नाम पोखर है, रामदेव पुत्र गोविन्दा नाम का कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:56:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

व्यक्ति नही है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि रामदेव पुत्र गोविन्दा उर्फ पोखर के नाम से दर्ज होनी चाहिये थी जिसे दुरूस्त करते हुये वर्तमान जमाबंदी संवत 2073–76 के खाता संख्या 17 में रामदेव पुत्र गोविन्दा के स्थान पर रामदेव पुत्र गोविन्दा उर्फ पोखर दुरूस्त किया जाकर रामदेव के वारिसान वादीगण सजरा खानदान अनुसार रामदेव के वारीसान धान्या पुत्र रामदेव व धान्या का स्वर्गवास होने पर धान्या के वारिसान वादीगण के नाम घोषणा किया जाना उचित समझते है। इस प्रकार वादीगण के पूर्वज रामदेव पुत्र गोविन्दा उर्फ पोखर के द्वारा छोडी गयी वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 327 रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम शक्करखावदा तहसील चाकसू का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:56:52 IST
Reason: SelfAttested